


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चांदनी जैन बनाम कमला वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.01.26	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। चुंकी मूल वाद का निस्तारण हो चुका है इस कारण से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया है। इस कारण से पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी</p>